

THE UTTAR PRADESH HIGH SCHOOLS AND INTERMEDIATE COLLEGES  
(PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) ACT, 1971

(U.P. Act No. 24 of 1971 as amended upto date)

---

ARRANGEMENT OF SECTIONS

---

Sections:-

- 1. Short title, extent and commencement**
- 2. Definitions**
- 3. Payment of salary within time and without unauthorised deduction**
- 4. Power to inspect, etc**
- 5. Procedure for payment of salary in the case of certain institutions**
- 6. Enforcement of provisions and directions**
- 7. Appeal**
- 8. Revision**
- 9. Approval for post**
- 10. Liability in respect of salary**
- 11. Punishment, penalties and procedure**
- 12. Exception**
- 13. Exemption in relation to institutions maintained by local authorities etc**
- 14. Protection of acts in good faith**
- 15. Powers to remove difficulties**
- 16. Powers to make rules**
- 17. Repeal and saving**

## उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों) के वेतन का भुगतान अधिनियम, 1971 (अद्यतन संशोधित)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1971)

जैसा कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1975 द्वारा संशोधित किया गया राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारी के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

### अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा आरम्भ**—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज(अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह अधिनियम 1 अगस्त, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **परिभाषाएं**— जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) **“निरीक्षक”** का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में यथास्थिति, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है और प्रत्येक दशा में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षिका के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी भी है;

(ख) **“संस्था”** का तात्पर्य किसी ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था से है, जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है, और इसमें राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत विद्यालय सम्मिलित हैं।<sup>1</sup>

(ग) **“अनुरक्षण अनुदान”** का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है, जिसे राज्य सरकार तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिए निदेश दें,

(घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में **“प्रबन्धाधिकरण”** का तात्पर्य प्रशासक योजना के, यदि कोई हो, अनुसार संघटित प्रबन्ध समिति से है और इसके अन्तर्गत प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी है, जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध तथा संचालन निहित हो,

(ङ) किसी संस्था के **“अध्यापक”** का तात्पर्य ऐसे प्रिन्सिपल, अध्यापक या अन्य अध्याप से है जिसके सेवा योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उस संस्था को अनुरक्षण अनुदान दिया जाता हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अध्यापक भी है जो संस्था की मान्यता को या उसकी नये विषय में या उसकी किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता की शर्तों को पूरा करने के निमित्त अथवा किसी वर्तमान कक्षा में निरीक्षण के अनुमोदन से कोई नया अनुभाग खोलने के फलस्वरूप सेवायोजित हो।

(च) किसी संस्था के **“कर्मचारी”** का तात्पर्य ऐसे गैर शिक्षक कर्मचारी से है जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता हों,।

(छ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिसके अन्तर्गत महंगाई या अन्य भत्ता भी है।

(ज) ऐसे अन्य शब्दों तथा पदावलियों के, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में परिभाषित हैं, किन्तु यहां पर परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

**3-समय के भीतर और अप्रधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान—**(1) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारियों का 31 मार्च, 1971 के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन इस माह के, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, आगामी माह के बीसवें दिन अथवा उससे पूर्व के ऐसे दिन जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा।

(2) उपधारा 1[(3) के उपबन्धों के रहते हुए वेतन का भुगतान] बिना किसी प्रकार की कटौतियों के सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायेगा।

<sup>2</sup>[(3) यदि किसी संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यक्तिगत कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाये तो निरीक्षक उसका भुगतान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उसे उपधारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर यथास्थिति ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर और नई नियुक्ति की दशा में, उसे वेतनमान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा और तत्पश्चात् ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में समयोजन यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा।]

**4. निरीक्षण आदि करने का अधिकार—**(1) निरीक्षक किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है या उसके अध्यापको या कर्मचारियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धाधिकरण से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बही तथा बाउचर भी हैं) मांग सकता है अथवा उसके प्रबन्धाधिकरण को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने अथवा आवश्यक व्यय को रोकने के लिए कोई निदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश किसी अध्यापक या कर्मचारी की छटनी करने के लिए दिया जाये तो उसका अनुपालन इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 एवं विनियमों के उपबन्धों अथवा यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(3) (क) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यापक को जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता या अन्य प्रकार से उपमें भाग लेता निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक अपने काम पर उपस्थिति हो;

(ख) प्रबन्धाधिकरण के साथ अध्यापक सेवा योजना की संविदा, अध्यापक द्वारा काम पर उपस्थिति होने में चूक करने पर उपर्युक्त निर्देश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी:

- 1- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 सन् 1975) की धारा 17 द्वारा अधिनियम, 1971 की धारा-3 की उपधारा-2 प्रतिस्थापित। (प्रभावी 18.08.1975)
- 2- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 सन् 1975) की धारा 17 द्वारा अधिनियम, 1971 की धारा-3 की उपधारा-3 बढ़ायी गयी। (प्रभावी 18.08.1975)

(ग) जहाँ खण्ड (ख) के अधीन कोई संविदा शून्य हो जाती है, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक की सेवाएँ समाप्त हो जायेंगी और वही अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और न ऐसे कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की अपेक्षा की जायेगी, भले ही इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और अधिनियमों में यथास्थिति उसकी सेवा की शर्तों में अन्यथा कुछ क्यों न हो:

(घ) विशेषतया और एतदर्थ विनिर्दिष्ट परिणामों की व्यापाकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निर्देश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात राज्य किसी अध्यापक के वेतन के भुगतान के लिए धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी उत्तरदायी नहीं होगी ।

(4) प्रबन्धाधिकरण या उसके चूक करने पर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या चयन, नियुक्ति या नियुक्ति के किसी अध्यापक के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को स्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा ।

**5. कतिपय संस्थाओं की दशा में वेतन का भुगतान करने पर प्रक्रिया—** <sup>1</sup>[(1) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन का वितरण करने के लिए प्रयोजनार्थ (किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में)] एक पृथक् लेखा खोलेगा जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा और निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो निरीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, संयुक्त रूप से परचालित (Operated) किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि लेखा खोले जाने के पश्चात निरीक्षक, यदि उसका, इस अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाये कि लोकहित में ऐसा करना इष्टकर है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखों का परिचालन केवल प्रबन्धाधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट लेखा में अथवा जब वेतन के वितरण में प्रबन्धाधिकरण को किसी एक चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो तो निरीक्षक बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखा केवल उसके द्वारा अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, परिचालित किया जायेगा और ऐसे अनुदेश को किसी समय विखण्डित कर सकता है ।

(2) प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में जो, राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष अनुदेशों के अनुसार <sup>2</sup>[(और जब तक ऐसे आदेश दिए जायें, निरीक्षक के निर्देशों के अनुसार)] अनुरक्षण निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का अस्सी प्रतिशत या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिये निर्देश दे तो ऐसा उच्चतर प्रतिशत, जैसा वह निर्देश दे उक्त लेखा में, ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त प्रकार के उक्त प्रतिशत में शुल्क जमा न किया जाये तो निरीक्षक आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण को छात्रों से कोई शुल्क वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है, और तदुपरान्त निरीक्षक शुल्क को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकेगा और इसवसूल किये गये शुल्क को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

1- उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2- उ0प्र0 अधिनियम संख्या 26 सन् 1975 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य सत्सदृश्य रियायतों या क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान से अस्सी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी।

(4) उक्त लेखों में जमा की गयी धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

(क) 31 मार्च, 1971 के पश्चात किसी सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का भुगतान;

(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना;

(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाये।

और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका हो, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके बाद एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय के लिए दे दिया जायेगा।

(5) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखों से उसकी बैंक में उसके लेखों में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, या यदि उसका बैंक में कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायेगा।

(6) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहाँ कोई (अनुसूचित बैंक, या सहकारी बैंक) न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्टकर, और इस धारा में किसी बैंक के लिए अभिदेश उस दशा में किसी डाकघर बचत बैंक के लिए अभिदेश समझे जायेंगे।

**6. उपबन्धों तथा निदेशों का प्रवर्तन—** (1) यदि निरीक्षक का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाये कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 4 के अधीन दिये गये किसी निर्देशका या धारा 3 अथवा धारा 5 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो वह संभागीय शिक्षा उप-निदेशक को यह सिफारिश कर सका है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर संभागीय शिक्षा उप-निदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निर्देश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाये।

(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा संभागीय शिक्षा उप-निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट जाये, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियन्त्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि संभागीय शिक्षा उप-निदेशक जहाँ वह ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर समझे—

(i) समय-समय पर उक्त अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गयी कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक न हो; या

(ii) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ii) की किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के सम्बन्ध में कोई रूकावट न होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्धाधिकरण को अपवर्जित करके और केवल संभागीय शिक्षा उप-निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, प्रबन्धाधिकरण के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कृत्यों का सम्पादन, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी है, करेगा और विशेष रूप से धारा 5 में अभिदिष्ट बैंक के लेखे का परिचालन अकेले करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इसके प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्धक के सामान्य क्रम में माह प्रतिमाह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार की संस्था के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) अधिकार प्राप्त होता है।

(5) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण से (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासक योजना भी है) या उसकी अथवा उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियम या कारण में दी गयी किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

**7. अपील**—धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने के संभागीय शिक्षा उप-निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील, प्रबन्धाधिकरण को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक के पास की जा सकती है, और निदेशक ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक, आदेश का प्रवर्तन ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

**8. पुनरीक्षण**— राज्य सरकार धारा 7 के अधीन निदेशक द्वारा निर्णीत किसी अपली के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश से सही होने या उकसे औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ माँग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि के बढ़ाने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

**9. पदों के लिए अनुमोदन**— कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नहीं करेगी।

**10. वेतन के सम्बन्ध में दायित्व**—(1) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो 31 मार्च, 1971 के पश्चात किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो।

(2) राज्य सरकार ऐसी धनराशि को जिसके लिए उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दायित्व उपगत हो, उस संस्था को या उसमें निहित सम्पत्ति की आय की, कुर्की द्वारा वसूल कर सकती है, माने यह धनराशि संस्था द्वक्षरा देय मालगुजारी का कोई बकाया हो।

1- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 26 सन् 1975) की धारा 17 द्वारा धारा-9 प्रतिस्थापित। (प्रभावी 18.08.1975)

(3) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किन्हीं ऐसे देयों के लिये संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा।

**11. दण्ड, शास्ति तथा प्रक्रिया—**(1) यदि धारा 4 के अधीन किसी निवेश अथवा धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाये तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो चूक की जाने के समय, प्रबन्धक या/अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसमें संस्था का प्रबन्धक और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह सिद्ध न कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी, अथवा उसने ऐसी चूक की जाने को राकने के लिए सभी प्रकार के यथोचित सावधानी बरती थी; धारा 3 के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की दशा में अर्थदण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और कोई अन्य चूक करने की दशा में कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक का हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायेगा जो, एक हजार रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

(2) कोई भी न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा।

(4) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन किसी उपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

**12. अपवाद—**इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त या इसके अधीन किसी अधिकार या प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

**13. स्थानीय प्राधिरणों आदि द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के सम्बन्ध में छूट—** इस अधिनियम की कई बात किसी रेलवे प्रशासन द्वारा अथवा किसी ऐसे अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा, जिसका स्वामी भारत सरकार या राज्य सरकार हो या जिस पर उसका नियंत्रण हो, अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी।

**14. सद्भावना से किये गये कार्यों के लिए संरक्षण—** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक सम्भागीय शिक्षा उप-निवेशक, निरीक्षक, प्राधिकृत नियन्त्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**15. कठिनाईयों दूर करने का अधिकार—**(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, यदि कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार, अवसर की उपेक्षानुसार/गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम या परिष्कार करने का भी उपबन्ध है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समप्ति पर नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथासम्भव शीघ्र राज्य विधान मण्डलों के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

**16. नियम बनाने का अधिकार**—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यनों को सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

**17. निरसन तथा अपवाद**—(1) उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, 1971 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1971); उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (द्वितीय) अध्यादेश, 1971 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1971) तथा उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1971) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी क्रिया समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम, 16 जनवरी, 1971 को प्रवृत्त हो गया था।



**THE UTTAR PRADESH HIGH SCHOOLS AND INTERMEDIATE COLLEGES  
(PAYMENT OF SALARIES OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES) ACT, 1971<sup>1</sup>**

(U.P. Act No. 24 of 1971 as amended upto date)

*An Act to regulate the payment of salaries to teachers and other employees of High Schools and Intermediate Colleges receiving aid out of the State funds and to provide for matters connected therewith.*

It is hereby enacted in the twenty-second year of the Republic of India as follows :

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and Other Employees) Act, 1971.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on August 1, 1971.

2. **Definitions.** - In this Act unless the context otherwise requires,-

(a) "*Inspector*" means the District Inspector of Schools and in relation to 'girls' institution, the District Inspectress of Girls' Schools, Schools as the case may be, and in each case includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Act;

<sup>2</sup>[(b) "*Institution*" means a recognized institution for the time being receiving maintenance grant from the State Government and includes a Sanskrit Mahavidyalaya or a Sanskrit Vidyalaya receiving maintenance grant from the State Government;]

(c) "*Maintenance Grant*" means such grant-in-aid of an institution, as the state Government by general or special order in that behalf direct to be treated as maintenance grant appropriate to the level of the institution;

(d) "*Management*" in relation to any institution, means the Committee of Management constituted in accordance with the scheme of administration, if any, and includes the manager or other person vested with the Authority to manage and

---

1. Received the assent of the Governor on August 29, 1971, and published in the U.P. Gazette, Extra. dt. 30.8.1971.

2. Subs. by U.P. Act No. 3 of 2007.

conduct the affairs of the institution;

(e) "*Teacher*" of an institution means a Principal, Headmaster or other teacher in respect of whose employment maintenance grant is paid by the State Government to the institution and includes any other teacher employed in fulfillment of the conditions of recognition of the institution or its recognition in a new subject or for a higher class or as a result of the opening with the approval of the Inspector of a new section in an existing class;

(f) "*Employee*" of an institution means not-teaching employees in respect of whose employment maintenance grant is paid by State Government to the institution;

(g) "*Salary*" of teacher or employee means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowances, for the time being payable to him at the rates approved for the purpose of payment of maintenance grant.

(h) other words and expressions in the Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act II of 1921), not herein defined, shall have the meaning assigned to them in that Act.

### **3. Payment of salary within time and without unauthorised deduction. -**

(1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of an institution in respect of any period after the thirty-first day of March 1971, shall be paid to him before the expiry of the twentieth day, or such earlier day as the State Government may, by general or special order in that behalf appoint, of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable.

(2) The salary shall <sup>1</sup>[subject to the provisions of sub-section (3), be paid without deduction of any kind except those authorized by the regulations or by any rules made under the Act or by any other law for the time being in force.]

<sup>2</sup>[(3) Where the salary of a teacher or other employee of an institution is not paid in accordance with sub-section (1) due to any default on the part of the management, the Inspector may, without prejudice to any other provision of this Act, pay or cause to be paid within ten days from the date mentioned in sub-section (1) of Section 4 at the rate of salary last drawn by such teacher or employee as the case may be, and in case fresh appointment at the rate of the minimum of the pay scale in which he has been appointed and any adjustment in respect of such payment shall, thereafter, be made as soon as possible.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1975.

2. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1975.

**4. Power to inspect, etc.** - (1) The Inspector may, at any time, for the purposes of this Act, inspect or cause to be inspected any institution or call for such information and records (including registers, books of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Where a direction under sub-section (1) is given for retrenchment of any teacher or employee, it shall be complied with in accordance with the provisions of the Intermediate Education Act, 1921 and the regulations or, as the case may be, the conditions of service.

**5. Procedure for payment of salary in the case of certain institutions.** - (1) The management of every institution shall, for the purpose of disbursement of salaries to its teachers and employees, open <sup>1</sup>[in a Scheduled Bank or a Co-operative Bank] a separate account to be operated jointly by a representative of the management and by the Inspector or such other officer as may be authorised in that behalf :

Provided that after the account is opened, the Inspector may, if he is, subject to any rules made under this Act, satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank that the account shall be operated by the representative as the management alone, and may at any time revoke such instruction :

Provided further that in the case referred to in the provision to sub-section (2), or where a difficulty arises in the disbursement of salaries due to any default of the management, the Inspector may instruct the Bank that the account shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The management shall deposit in the said account by such date as may be specified by general or special orders by the Inspector, eighty per cent or where the State Government or an officer authorised by the State Government having regard to the money required to be disbursed directs a higher percentage, then such higher percentage as it or he may direct, of the amount received from students as fees which in accordance with the general or special orders of the State

---

1. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1975.

Government in that behalf<sup>1</sup>[and for so long as such orders are not made in accordance with the directions of the Inspector] form part of the maintenance fund:

Provided that where the said percentage of fees is not deposited as aforesaid the Inspector may by order prohibit the management from making any realization of fees from the students, and thereupon the Inspector may recover the fees (either through the teachers of the institution or in such other manner as he thinks fit) directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the said account.

(3) The entire amount of the maintenance grant and the amount of eighty per cent or such higher percentage as the State Government or an officer authorised by the State Government, may be general or special order in that behalf determine, of the grants for reimbursement of free ships and other similar concession shall also be paid by the State Government into the said account.

(4) No money credited to the said account shall be applied for any purpose except the following, namely :

(a) payment of the said salaries falling due for any period after March 31, 1971;

(b) credit of the institution's contribution, if any, to the provident fund accounts of the teachers and employees;

and such portion of the balance in the accounts at the end of the month of July each year as exceeds the aggregate of one month's salary of the teachers and employees of the institution after meeting the liability for payment of their salaries for the period for which fees have been realized from the students shall be made over to the management for expenditure on the institution;

<sup>1</sup>[(c) such other expenditure for the purposes of the institution as may be directed by the State Government or by an Officer authorised by the State Government in that behalf;]

(5) The salary of a teacher or employee shall be paid by transfer of the amount from the said account, in any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

(6) In respect of a place where there is no<sup>2</sup>[Scheduled Bank or a Co-operative Bank], the provisions of this section shall apply with such modifications as the State Government may by notification in the Gazette specify,

---

1. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1975.

2. Subs. by U.P. Act No. 26 of 1975.

and the reference in this section to bank shall in that case be construed as reference to a post office savings bank.

**6. Enforcement of provisions and directions.** - (1) Where the Inspector, on the basis of an inspection of an institution or its records or other-wise is satisfied that its management has committed default in complying with any direction given under Section 4 or with any provisions of Section 3 or Section 5, he may recommend to the Regional Deputy Director, Education, that action be taken against the institution under sub-section (2).

(2) On receipt of a recommendation under sub-section (1) the Regional Deputy Director, Education, may call upon the management to comply with the said direction or provisions or to show cause with a week why the management should not be suspended.

(3) Where the management fails to comply as aforesaid or to show cause, or the Regional Deputy Director, Education considers the cause shown to be insufficient, he may by order supersede the management for such period not exceeding one year as may be specified in the Order, and authorize any person (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the institution for the said period :

Provided that the Regional Deputy Director, Education, may where he considers it necessary or expedient so to do, -

(i) extend the said period from time to time, so however, that the period so extended does not exceed five years in the aggregate; or

(ii) revoke the order at any time :

Provided further that nothing in clause (ii) of the preceding proviso shall bar the passing of a fresh order under this section.

(4) On an order being made under sub-section (3) the Authorised Controller shall, to the exclusion of the management and subject only to the Direction, the Director or the State government, exercise all the powers and perform all the functions of the management, including management of the property belonging to or vested in the institution and in particular, operate singly the bank account referred to in Section 5 :

Provided that nothing in this section shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any such property (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create

any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the institution from the State Government).

(5) Any order made or direction given under this Section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution (including any scheme of administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution.

7. **Appeal.** - An appeal against the order of the Regional Deputy Director, Education, superseding the management under sub-section (3) of Section 6 may be preferred to the Director within one month from the date on which the order is communicated to the management and the Director may after such further inquiry, if any, as he considers necessary, either set it aside or confirm or modify it, and pending the disposal of appeal may stay the operation of the order on such terms, if any, as he thinks fit.

8. **Revision.** - The State Government may call for and examine the record of any appeal decided by the Director under Section 7 for the purpose of satisfying itself as to the correctness or propriety of any order passed by him, and it may pass such order thereon as it thinks fit :

Provided that no order superseding the management of an institution or extending the period of supersession thereof shall be passed under this section unless an opportunity has been given to the management to show cause against the proposed order.

9. <sup>1</sup>**[Approval for post.** - No institution shall create a new post of teacher or other employee except with the previous approval of the Director, or such other officer as may be empowered in that behalf by the Director].

10.**Liability in respect of salary.** - (1) The State Government shall be liable for payment of salaries of teachers and employees of every institution due in respect of any period after March 31, 1971.

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by its under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the institution as if that amount were an

---

1. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1975.

arrears of land revenue due from the institution.

(3) Nothing in this Section shall be deemed to derogate from the liability of the institution for any such dues to the teacher or employee.

**11. Punishment, penalties and procedure.** - (1) If any default is committed in complying with any direction under Section 4 or with the provisions of Section 3 or Section 5, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the Institution shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable in the case of a default in complying with the provisions of Section 3 with fine which may extend to one thousand rupees and in the case of any other default, with imprisonment which may extend to six months or with fine may extend to one thousand or with both.

(2) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Section except with the previous sanction of the Regional Deputy Director, Education.

(3) Every offence under this Section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No Court below the rank of a Magistrate of the First Class shall take cognizance of an offence this Section.

12. No order made direction given by the State Government, the Director, the Regional Deputy Director, Education, or the Inspector or other officer in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

**13. Exemption in relation to institutions maintained by local authorities etc.** - Nothing in this Act, shall apply to institutions maintained <sup>1</sup>[\* \* \*] by a railway administration or any industrial undertaking owned or controlled by the Government of India or the State Government.

**14. Protection of acts in good faith.** - No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Director, the Regional

---

1. The words "by a local authority or" omitted by U.P. Act. No. 26 of 1975.

Deputy Director, Education, the Inspector, the Authorised Controller or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made or given thereunder.

**15. Powers to remove difficulties.** - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or by reason of anything contained in this Act, the State Government may, as occasion requires by notification in the Gazette, make such incidental or consequential provisions for adapting or modifying any provisions of this Act or of the Intermediate Education Act, 1921 or the regulation but not affecting the substance, as it may think necessary, or expedient for the purposes of this Act.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of three years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both the House of the State Legislature.

**16. Powers to make rules.** - (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the official Gazette, subject to such modification or annulments as the two Houses of Legislature may, during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**17. Repeal and saving.** - (1) The Uttar Pradesh High School and Intermediate College (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Ordinance, 1971 (U.P. Ordinance No. 3 of 1971), the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) (Second) Ordinance, 1971 (U.P. Ordinance No. 7 of 1971), and the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) (Amendment) Ordinance, 1971 (U.P. Ordinance No. 10 of 1971) are hereby repealed.



(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the Act had come into force on January 16, 1971